

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक 03.07.2023)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 284 / 2023

GCMS NO- 2023/621

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान:- बहादुरमल शर्मा बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 03.07.2023

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का बुहाना के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	शुद्ध प्रविष्टि (प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	बुहाना	289	केदारमल शर्मा	किदाराराम शर्मा



क्रमांक राजस्व/2023/344

प्रतिलिपि

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- 03.07.2023

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री बहादुरमल शर्मा पुत्र किदारा राम शर्मा को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

